110

समक्ष :- न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म॰प्र॰)

पु0 क्रं0

आवेदिका :- श्रीमति सुहद्रा भाई पत्नि श्री (पु0 पहाड़ी
निवासी - ग्राम - बड़दन॰ तहसील व जिला
जबलपुर॰

विरुद्ध

अनावेदक :- म॰ प्र॰ शासन द्वारा तहसीलदार जबलपुर

आवेदन पत्र धारा 8 सहपाठित धारा 32 म॰ प्र॰ भू0 राजस्व संहिता॰ के अंतर्गत :

उपरोक्त आवेदिका निम्न लिखित निवेदन मान नीय न्यायालय से करती है कि -

1. यह कि, आवेदिकाग्राम बड़दन, अंधुआ, नंबर बंदोबस्त - 3॰ प॰ ह॰ नं॰ 27/34॰ तहसील व जिला - जबलपुर की भूमि खसरा नंबर - - 78 रकबा - ·547 है0. है0 भूमि की मालिक - काबिज एवं भूमि स्वामी है। आवेदिका ने न्यायालय सक्षम अधिकारी, अर्बन लैण्ड सीलिंग जबलपुर के समक्ष अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध मे विवरण प्रस्तुत किया । जिसके रिटर्न पु0 क्रं0 - 130 अ / 90 (ब-9) 83 - 84 मे कार्यवाही की गई तथा दिनांक - 14·7·93 को धारा-10 (5) के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया गया । साथ ही तहसीलदार नजूल को कब्जा लेने हेतु॰ पत्र प्रेषित किया । आवेदिका से विवादित भूमि का कोई कब्जा नही लिया गया। आज भी आवेदिका अपनी भूमि पर मालिक - काबिज व स्वामी है। एवं कृषि कर रही है।

Filed by Shri Rahangdale Advocate
(i) L.C. record be called
(ii) Dt. be ... fixed
Case be registered
CF 19/6/2003

MBR 10/6/2003

निगरानी 891-III/2003

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 891-तीन/03 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13-6-03 को आदेश पारित किया गया था । बाद में यह तथ्य आने पर कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है, अध्यक्ष राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 3-4-12 के द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरावलोकन में लिया गया तथा आवेदकगण को सूचनापत्र भेजे गये हैं, किंतु उनकी ओर से कोइ उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण में अपना पक्ष रखने में कोई रूचि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित क्षेत्राधिकार रहित आदेश दिनांक 27-6-2003 निरस्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	